न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी:–चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :–354/2017 प्रार्थना पत्र

[illegible] टैक्स फेब प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड नम्बर 18101/2006 जे.एस.बिल्डिग गांधीनगर, पुर रोड़ भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) जरिये डायरेक्टर
1–श्री पंकज कुमार पिता बालूराम जाजू, उम्र बालिग निवासी काशीपुरी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–चन्द्रशेखर पिता बालूराम जाजू, उम्र बालिग निवासी काशीपुरी भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

------प्रार्थीगण

बनाम

1–श्री प्रतापसिंह पिता राघवदान सिंह चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–संतोष कंवर पत्नि प्रद्युमनसिंह चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–09.4.2018

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुझरास पटवार हल्का मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 211 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहती हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.9.2017 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन रजिस्टर्ड ए/डी के बाद तामिल प्राप्त नहीं हुये। किन्तु रजिस्टर्ड ए/डी की प्राप्ति रसीदे पेश की। जिसे शामिल पत्रावली की गयी। विपक्षीगण 1, 2, व 3 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 9.4.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया गया ।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फ़सल काश्त करते समय, फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम मुझरास पटवार हल्का मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 211 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 400/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(चिन्मयी गोपाल)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 9.4.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner